मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/5-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 3-6-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में अधिसूचना क्रमांक सी/5-1/96/3/एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा विस्तृत संशोधन किये गये हैं.

2. समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है. तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मई 2000—ज्येष्ठ 4, शक 1922

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2000

एफ. क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में —

1. नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.

2. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"3 (क) तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार—

कोई भी शासकीय सेवक—

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा,

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा,

ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो,

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उप भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा.

3 (ख) शासन की नीतियों का पालन—

प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय पर—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा."

3. नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उप-नियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाए;

(तीन) उप-नियम (2) में शब्द "रेडियो प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए.

4. नियम-10 में शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट)" के स्थान पर शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किए जाएं.

5. नियम 12 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्ति अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

6. नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(16) प्राइवेट कारवार या नियोजन :—

(1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में, चाहे वह निगमित निकाय या अनिगमित निकाय हो, कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन

के लिए किसी अभ्यर्थी/किन्हीं अभ्यर्थियों के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी, कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा; या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी के, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना :—

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चेरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसाइटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में, जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रीड़ाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित हों, और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु—

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होंगे तथा वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक मास के भीतर उसके भाग लेने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, शासन को रिपोर्ट भेजेगा;

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो वह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए, प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है.

7. नियम 17 में, उपनियम (4) के खण्ड (एक) के विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह ओर भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी."

8. नियम 19 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 10,000=00" तथा शब्द तथा अंक "रु. 2500=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (5) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) में, उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ङ) टेलिविजन सेट तथा अन्य विद्युत और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं."

9. नियम 22 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :—

(क) शारीरिक संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण."

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो.

10. नियम 23 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है."

11. नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"23-क. 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2000

क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-1996-3-एक, दिनांक 25 मई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th May 2000

No. F-C-5-1-96-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) The second proviso to sub-rule (3) of rule 1 shall be omitted.

(2) After rule 3, the following rules shall be inserted, namely :—

"3-A. Promptness and courteous behaviour:—

No Government servant shall,—

(a) act discourteously in the performance of his/her official functions;

(b) adopt deletory tactics in his/her official dealing with the public or otherwise and shall make deliberate delay in disposing of the work assigned to him;

(c) do nothing which denote indiscipline;

(d) sub-let, lease or otherwise allow occupation or use for gain by any person of Government accomodation which has been allotted to him.

3-B Observance of Government's Policies :—

Every Government Servant shall, at all times—

(a) act inaccordance with the Government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage;

(b) observe the Government's policies regarding prevention of crime against women."

3. In rule 9,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Connection with press and other media."

(ii) in sub-rule (1) for the word "publication" the words "publication and any other media" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) for the words "a radio broadcast" the words "any other media broadcast" shall be substituted.

4. In rule 10 for the words "radio broadcast" the words "radio broadcast or other media broadcast" shall be substituted.

5. In rule 12, the following explanation shall be added at the end, namely :—

"**Explanation.**—Quotation by a Government servant (in his representation before any Court or Tribunal or any authority or otherwise) of, or from any letter, circular or office memorandum or any other official document or from the notes of any file to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rule."

6. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely :—

"16. Private business or employment—

(1) No Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), without prior approval of the Government—

(a) engage himself/herself in any business or trade, directly or indirectly; or

(b) do any other service; or

(c) hold any post in any body, whether it be a corporate body or non-corporate body, or canvass for any candidate/candidates for any election; or

(d) canvass in support or any business of any insurance company, commission agency etc. owned or managed by any member of his/her family; or

(e) except in connection with his official duties, take part in promoting or managing any bank or any other company, which is registered under the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) or under any other law for the time being in force or any co-operative society established for commercial purposes.

(2) Any Government servant may, without obtaining prior permission of the Government—

(a) take part in any activities of social or charitable nature; or

(b) take part in any occasional activities of literary, artistic or scientific nature; or

(c) take part in sports activities as an amateur; or

(d) take part in the registration, promotion, or management of any literary, scientific or charitable society or clubs or similar other organisations (wherein holding of any election post is not involved), whose aims or objects relate to promotion of any games/ sports activities or activities of cultural or recreational nature and which are registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or under any other law for the time being in force, or;

(e) take part in the registration, promotion or management of any co-operative societies which are registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or under any other law for the time being in force and which are established substantially for the benefit of the Government servant (wherein holding of any election post is not involved).

provided that—

(i) he/she shall stop taking part in such activities, if he/she is directed to do so by the Government; and

(ii) in the cases coming under clause (d) and (e) of this sub-rule, his/her official duties shall not be affected adversely within one month after taking part in such activities he/she shall send a report to the Government giving the particulars of the nature of his/her participation;

(3) If any member of the family of any Government servant is engaged in any business or trade or if any member of his/her family owns or manages any insurance agency or commission agency, he/she shall report to the Government;

(4) Unless otherwise provided by any general or special orders of the Government, no Government servant shall accept any prescribed fee if for any work done by him/her in any private institution or public body or private person, without obtaining approval of the authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the word "fee" shall have the same meaning as assigned to it in rule 48 (a) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules."

7. In rule 17, after the existing proviso to clause (i) of sub-rule (4) the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided further that nothing contained in this sub-rule shall apply to any transactions done by any Government servant with the prior approval of the Government."

8. In rule 19,—

(i) in sub-rule (3) for the words and figures "Rs. 5000.00" the words and figures "Rs. 10,000/-" and for the words and figures "Rs. 2500.00" the words and figures "Rs. 5000/-" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (5), in the explanation, in clause (1), after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(e) Television sets and other electrical and electronic items."

9. After sub-rule (2) of rule 22, the following sub-rule shall be inserted, namely.:—

"(3) No Government servant shall do anything which may amount to sexual harrassment of women Government sevant. Sexual harrassment include the following indecent erotic activities—

(a) physical contact and lecherous behaviour,

(b) demand or request of sexual consent;

(c) lecherous remarks,

(d) showing pornographic literature,

(e) any other indecent physical, verbal or gestural conduct of lecherous nature."